R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड IV ◆ अंक 8
फरवरी 2008

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखना

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के स्थान पर बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007, 23 जनवरी 2007 से लागू हुआ था। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में संशोधन के परिणामस्वरूप सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारत में आस्तियां रखना जारी रखेंगे जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा। आस्तियों का मूल्य रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई मूल्यांकन विधि के अनुसार लगाया जाएगा। ये आस्तियां निम्नानुसार है :

(क) नकदी, अथवा

(ख) स्वर्ण जिसका मूल्य चालू बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं होगा; अथवा

(ग) निम्नलिखित लिखतों में भाररहित निवेश जिन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियाँ कहा जाएगा :

(i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ;

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए और भविष्य में जारी किए जानेवाले सभी खज़ाना बिल;

(iii) बाज़ार उधार कार्यक्रम तथा संबंधित अधिसूचना में शामिल सांविधिक चलनिधि अनुपात स्तरों सहित बाज़ार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भविष्य में जारी की जानेवाली दिनांकित प्रतिभूतियाँ;

(iv) संबंधित अधिसूचना में शामिल सांविधिक चलनिधि अनुपात स्तरों सहित अपने बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा भविष्य में जारी किए जानेवाले राज्य विकास ऋण; और

(v) सांविधिक चलनिधि अनुपात स्तर के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा भविष्य में अधिसूचित किए जानेवाले कोई अन्य लिखत।

स्पष्टीकरण : किसी बैंकिंग कंपनी के *भाररहित निवेश* में अग्रिम अथवा किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास रखी गई उपर्युक्त प्रतिभूतियों में निवेश उस सीमा तक शामिल होगा जिस सीमा तक उन प्रतिभूतियों के बदले कोई आहरण न किया गया हो।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राशि की गणना हेतु निम्नलिखित को भारत में रखी गई नकदी के रूप में माना जाएगा:

- भारत से बाहर निगमित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित जमाराशियाँ;
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष;
- भारत में अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास चालू खातों में निवल शेष।

आढ़तिया कंपनियों को बैंक वित्त

आढ़तिया (फैक्टरिंग) कंपनियों के वित्तपोषण के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा कर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि आढ़तिया कंपनियों के आढ़तिया व्यवसाय के समर्थन के लिए बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं बशर्ते-

क) आढ़तिया कंपनियाँ मानक आढ़तिया कार्य के सभी घटक अर्थात् प्राप्य राशियों का वित्तपोषण, बिक्री-लेज़र प्रबंधन तथा प्राप्य राशियों की वसूली आदि जैसे सभी कार्य करती हैं।

ख) आढ़तिया कंपनियाँ अपनी कम-से-कम 80 प्रतिशत आय आढ़तिया कार्य से प्राप्त करती हैं।

ग) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि *भुगतान अधिकार (रिकोर्स) सहित* हैं अथवा *भुगतान अधिकार (रिकोर्स) रहित* हैं, खरीदी गई/वित्तपोषित प्राप्य राशियां आढ़तिया कंपनी की आस्तियों के कम-से-कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखना	1
आढ़तिया कंपनियों को बैंक वित्त	1
मुर्गीपालन उद्योग को राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश	2
आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध के लिए अपने ग्राहक को जानिए मानदंड - धनशोधन निवारण दिशानिर्देश	2
लघु वित्त और वित्तीय समावेशन	3
वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा : 2007-08	4

घ) उपर्युक्त उल्लिखित आस्तियों/आय में आढ़तिया कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी बिल भुनाई सुविधा से संबंधित आस्तियां/आय शामिल नहीं होगी।

ङ) आढ़तिया कंपनियों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता उनके पक्ष में प्राप्य राशियों के दृष्टिबंधक अथवा समनुदेशन द्वारा रक्षित होनी चाहिए।

मुर्गीपालन उद्योग को राहत उपायों हेतु दिशानिर्देश

देश के कुछ भागों में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) फैलने के मामले सामने आने से और मुर्गियों की छँटाई से पोल्ट्री उत्पाद की मांग और उनके मूल्य में भारी गिरावट के कारण होने वाली आय में हुई क्षति के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने मुर्गीपालन उद्योग को कुछ राहत उपायों की घोषणा की है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उनके द्वारा वित्तपोषित मुर्गीपालन इकाइयों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करें :

(i) कार्यशील पूंजी ऋणों पर देय मूलधन और ब्याज तथा मीयादी ऋणों की किस्तों और ब्याज को जो 31 दिसंबर 2007 को या बर्ड फ्लू फैलने के बाद चुकौती के लिए देय हो गई है तथा भुगतान न की गई शेष राशि को मीयादी ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए। परिवर्तित ऋण की वसूली भविष्य में अनुमानित आय के आधार पर तीन वर्ष की अवधि में किस्तों में वसूल की जाए जिसकी आरंभिक अधिस्थगन अवधि एक वर्ष होगी (चुकौती के पहले वर्ष का निर्धारण अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद किया जाए)।

(ii) मीयादी ऋण की शेष राशि को इसी प्रकार एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ पुनर्निर्धारित किया जाए जो इकाई की नकद प्रवाह की सृजन क्षमता पर निर्भर होगी।

(iii) पुनर्निर्धारण/परिवर्तन 30 अप्रैल 2008 तक पूरा कर लिया जाए।

(iv) पुनर्निर्धारित/परिवर्तित ऋणों का चालू देय माना जाए।

(v) उपर्युक्त अनुसार परिवर्तन कर लेने के बाद उधारकर्ता आवश्यकता आधार पर नए वित्तपोषण के लिए पात्र होगा।

(vi) यह राहत उपाय मुर्गी पालन उद्योग के उन सभी खातों को प्रदान किए जाए जिन्हें 31 दिसंबर 2007 को मानक खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

राज्य/जिला सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा ऐसा ही परिपत्र जारी किया जाएगा।

आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध के लिए अपने ग्राहक को जानिए मानदंड - धनशोधन निवारण दिशानिर्देश

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राहकों की पहचान के लिए भरोसा करने योग्य दस्तावेज़ों/सूचना, सूचना का स्वरूप और उसकी प्रकृति पर नवंबर 2004 के अपने पूर्व अनुदेशों को स्पष्ट करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि स्थायी सही पता का अर्थ है वह पता जिस पर कोई व्यक्ति सामान्यतः रहता है और वह ग्राहक के पते के सत्यापन के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत जनोपयोगी (यूटिलिटी)सेवा के बिल अथवा कोई अन्य दस्तावेज में उल्लिखित पता हो सकता है। यह पाया गया है कि कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को, उदाहरण के लिए, अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहने वाली पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता-पिता आदि, को कुछ बैंकों में खाता खोलने में कठिनाई हो रही है क्योंकि पते के सत्यापन के लिए आवश्यक यूटिलिटी बिल उनके नाम पर नहीं हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में बैंक भावी ग्राहक जिस रिश्तेदार के साथ रहता है उससे इस आशय का एक घोषणा पत्र कि खाता खोलने के लिए इच्छुक उक्त व्यक्ति (भावी ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ रहता है तथा उसका पहचान दस्तावेज तथा यूटिलिटी बिल प्राप्त कर सकता है। पते के और अधिक सत्यापन के लिए बैंक डाक से प्राप्त पत्र जैसे अनुपूरक साक्ष्य का उपयोग कर सकता है। इस विषय पर शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की भावना ध्यान में रखनी चाहिए और उन व्यक्तियों को जिन्हें कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, होने वाली अनुचित कठिनाइयों को टालना चाहिए।

इससे पहले वर्ष 2004 में बैंकों को सूचित किया गया था कि बैंकों को खातों के जोखिम संवर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली भी स्थापित करनी चाहिए और किसी ग्राहक के संबंध में उच्चतर जोखिम समझे जाने पर उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करना आवश्यक है। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया था कि ग्राहकों के जोखिम संवर्गीकरण की ऐसी समीक्षा की आवधिकता छः महीने में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए। खाता खोलने के बाद बैंकों को ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक रूप से अद्यतन करने की एक प्रणाली भी प्रारंभ करनी चाहिए। इस तरह से ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी को अद्यतन बनाने की आवधिकता कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में पांच वर्ष में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए और उच्च तथा मध्यम जोखिम श्रेणियों के मामले में दो वर्ष में एक बार से कम नहीं होनी चाहिए।

बैंकों को पहले भी सूचित किया गया था कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण संबंधी दिशानिर्देश (एएमएल) विदेशों में, विशेषतः उन देशों में जो वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू नहीं करते अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं, स्थित शाखाओं तथा बहुमत स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी स्थानीय कानूनों की अनुमति की सीमा तक लागू होंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण मानकों तथा मेज़बान देश के विनियामकों द्वारा निर्धारित मानकों के बीच कोई अंतर होने के मामले में बैंकों की शाखाओं /विदेशी सहायक कंपनियों को दोनों में से अधिक सख्त विनियम को अपनाना होगा।

आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

बैंकों को सूचित किया गया कि वे उचित नीतिगत ढांचे के माध्यम से आंतकवादी संबंध होने की आशंका वाले खातों की अधिक निगरानी के लिए तथा ऐसे लेनदेन को तुरंत पहचानकर प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय आसूचना यूनिट-भारत (एफआइयू -आइएनडी) को रिपोर्ट करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करें।

सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्पों (यूएनएससीआर) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची भारत सरकार से जब और जैसे प्राप्त होती है, रिज़र्व बैंक उसे सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित सूची के अनुसार व्यक्तियों तथा संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं की अद्यतन सूची संयुक्त राष्ट्र की वेबसाईट http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर मिल सकती है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि कोई भी नया खाता खोलने से पहले वे सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम/के नाम सूची में शामिल नहीं हैं। इसके साथ ही, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी खाता सूची में शामिल व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का नहीं है अथवा उनसे संबंधित नहीं है। सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति /संस्था से किसी भी प्रकार की समानता होने वाले खातों के संपूर्ण ब्यौरे रिज़र्व बैंक तथा एफआइयू-आइएनडी को तत्काल सूचित किए जाने चाहिए।

बैंकों को कार्मिकों की नियुक्ति/ नियोजन की अपनी प्रक्रिया में एक अविभाज्य भाग के रूप में समुचित स्क्रीनिंग प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ये दिशानिर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत जारी किए गए हैं तथा इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अधीन दंड लागू हो सकता है।

लघु वित्त और वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन (एफआइ) सुविधाहीन और निम्न आय समूहों के विशाल हिस्से को सहुलियत लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक सामग्री और सेवाओं तक अबाधित पहुंच ही किसी खुले और सक्षम समाज की मूल अनिवार्यता है। चूँकि बैंकिंग सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं का स्वरूप होती हैं, बिना किसी भेदभाव के समस्त आबादी के लिए बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के प्रावधान सार्वजनिक नीति के मूल उद्देश्य होने चाहिए।

बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार देश में असमान रहा है जिससे वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। बचत खातों की संख्या पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए और यह भी मानते हुए कि अखिल भारतीय आधार पर एक व्यक्ति का केवल एक खाता है, देश में वयस्क जनसंख्या के केवल 59 प्रतिशत के पास ही बैंक खाते हैं। बैंक सुविधाहीन जनसंख्या, अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तर पूर्व और पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक है।

साथ ही, ऋण समावेशन का विस्तार वयस्क जनसंख्या के 14 प्रतिशत पर न्यूनतम है। वित्तीय रूप से बाहर के हिस्से में अधिकांशत: सीमांत कृषक, भूमिहीन मज़दूर, मौखिक पट्टेदार, स्वनियोजित और असंगठित क्षेत्र के उद्यम, शहरी गंदी बस्तियों के निवासी, प्रवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन का दृष्टिकोण

- न केवल ऋण वितरण किंतु बैंकिंग प्रणाली से लोगों को *जोड़ने* का लक्ष्य।
- भुगतान प्रणालियों तक जनता को पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य।
- नागरिक सेवा संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, डाकघरों, किसानों के क्लब, पंचायतों एमएफआइ (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अलावा) आदि जैसे बहुविध माध्यमों का बैंकों तक पहुंच के विस्तार के लिए कारोबार सुविधा प्रदाताओं/संवाददाताओं का उपयोग करना।
- एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना जो राज्य/क्षेत्र विशिष्ट हो तथा संबंधित राज्य सरकारों और बैंकों के बीच नजदीकी सहभागिता और समन्वय का हो।
- बायो-मेट्रीक स्मार्ट कार्ड और मोबाइल में इलेक्ट्रानिक उपकरण के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) का उपयोग कारोबारी सुविधा प्रदाताओं/संवाददाताओं जैसे बैंकों के एजेंटों द्वारा नकदी की प्राप्ति और वितरण के लिए उपयोग।

किए गए कुछ उपाय निम्नप्रकार हैं:

नो-फ्रिल खाते और सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड

(i) बैंकों को सूचित किया गया कि वे सबसे कम न्यूनतम शेष और प्रभारों वाले आधारभूत बैंकिंग नो-फ्रिल खाते उपलब्ध कराएँ।

(ii) बैंक खुदरा ग्राहकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी मुद्रित सामग्री स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराएं।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के निम्न आय समूह वाले व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उन खातों को खोलने के लिए जिनमें शेष राशि 50,000/- रुपए से अधिक न हो और उस पर ऋण एक वर्ष के दौरान 1,00,000/- रुपए से अधिक न हो, अपने ग्राहक को जाने (केवाइसी) प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। सरलीकृत प्रक्रिया परिचय किसी ऐसे ग्राहक द्वारा करायी जाए जिस पर अपने ग्राहक को जानें की सारी औपचारीकताएँ पूरी की गई हो।

(iv) बैंकों को अपने ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में 25,000/- रुपए तक की सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा लागू करने के लिए कहा गया। सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड ऋणों के 50 प्रतिशत को बैंक का प्राथमिक क्षेत्र उधार माना जाएगा।

100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए जिलों का अंगीकरण

(i) राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए एक जिले की पहचान करनी है। उसके बाद बैंक खातेरहित परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में बैंकों को यह दायित्व दिया गया है कि उन सभी लोगों को जो बैंक खाते चाहते हैं उन्हें बैंक खाता उपलब्ध कराया जाए।

(ii) अति संवेदनशील समूहों को सामाजिक सूरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को पहचानते हुए कुछ मामलों में बैंकों को बीमा कंपनियों के सहयोग से सुविधाजनक लागत पर नवोन्मेषी बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गई है।

(iii) अब तक राज्य स्तरीय बैंकर समितियों ने यह रिपोर्ट की है कि उन्होंने 14 राज्यों के 49 जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त कर लिया है। किए गए इन प्रयासों के परिणाम 31 दिसंबर 2007 तक खोले गए 12.6 मिलियन *नो-फ्रिल* खातों के रूप में प्रतिबिंबित हुए हैं।

(iv) कतिपय कुछ कम विकसित राज्य जैसे उत्तरपूर्वी क्षेत्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल में रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यदलों ने वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा मुद्रा और भुगतान प्रणालियों में सुधार करते हुए वित्तीय समावेशन के लिए विशिष्ट अनुशंसाएँ की हैं।

व्यष्टि वित्त में बिचौलियों का एजेंटों के रूप में प्रयोग

(i) रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कारोबार सुविधा प्रदाता और कारोबार संवाददाता (बीसी) प्रतिदर्श के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अलावा) और अन्य समाज-सेवी संस्थानों की सेवाएं बिचौलियों के रूप में लेने की अनुमति दी है जिससे दूर-दराज़ इलाकों की समस्या हल हो जाती है।

(ii) डाकघरों के विस्तृत नेटवर्क का प्रयोग कारोबार संवाददाता के रूप में करने के लिए बैंकों द्वारा भारतीय डाक प्राधिकरण के साथ करार किया जा रहा है।

बैंकों की पहुंच को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधानों का प्रयोग

(i) बैंकों द्वारा कारोबार संवाददाता (बीसी) की सहायता से बैंकों की पहुंच को बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) समाधानों के प्रयोग को रिज़र्व बैंक प्रोत्साहित कर रही है। कारोबार संवाददाता हाथ में धारित उपकरण, खासकर स्मार्ट कार्ड रिडर्स का प्रयोग करते हैं। प्राप्त की गई जानकारी को केंद्रीय सर्वर में डाला जाता है जहाँ पर खाते रखे गए हैं।

(ii) मोबाईल फोन को भी कार्ड रिडर के रूप में प्रयोग करने के लिए विकसित किया गया है। खाताधारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं जिनपर उनका फोटो और उंगलियों के निशान होते हैं। कतिपय बैंक इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में कर रहे है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण प्रवाह

(i) रिज़र्व बैंक द्वारा 18 जून 2007 को बैंकिंग से संबंधित सभी मामलों और आम आदमी के लिए 13 भारतीय भाषाओं में बहु-भाषी वेबसाइट शुरू की गई। स्कूली छात्रों को बैंकिंग-युक्त जानकारी दे सके ऐसी कॉमिक पुस्तिकाएं पहले ही वेबसाइट पर रखी गई है। इसी प्रकार की पुस्तिकाएं विभिन्न लक्ष्य समूह जैसे ग्रामीण परिवार, शहरी गरीब, सुरक्षा कर्मचारियों, महिलाओं और लघु उद्यमों के लिए तैयार की जाएगी।

(ii) प्रत्येक राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजकों को प्रत्येक जिले में एक प्रायोगिक ऋण-सलाह केंद्र गठित करने के लिए कहा गया है और कहा गया कि यथाशीर्ष उसे अन्य सभी ज़िलों में भी शुरू किया जाए।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा : 2007-08

डॉ. वाइ. वेणुगोपाल रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2008 को वर्ष 2007-08 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। इसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार है :

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर और रिपो दर को क्रमशः 6.0 प्रतिशत और 7.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः रूप से निविदाओं को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के अधिकार-सहित रातभर के लिए अथवा दीर्घावधि रिपो संचालित करने के लचीलेपन को जारी रखा गया।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 7.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।

रूझान

- वर्ष 2007-08 के लिए समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को लगभग 8.5 प्रतिशत पर बनाए रखा गया।
- नीति प्रयास यह होगा कि प्रत्याशाओं को 4.0 - 4.5 प्रतिशत की सीमा तक रखते समय वर्ष 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के आस-पास रखा जाए।
- जबकि खाद्येतर ऋणों में कमी आई है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा आपूर्ति और सकल जमा राशियों में सांकेतिक अनुमानों से अधिक बढ़ोतरी जारी रही है।
- प्रारक्षित मुद्रा में उच्चतर वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी वृद्धि के कारण हुई है।
- चलनिधि प्रबंध को समुचित और सामयिक कार्रवाईयों के माध्यम से मौद्रिक नीति के संचालन में प्राथमिकता प्राप्त होगी।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों के उत्पन्न होने को छोड़कर तथा वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकलन की दृष्टि से आगे आनेवाली अवधि में मौद्रिक नीति का समग्र रूझान व्यापक रूप से निम्न प्रकार जारी होगा:
  - वृद्धि की गति और वित्तीय बाज़ारों में व्यवस्थित स्थितियों के जारी रहने के अनुकूल एक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण को सुनिश्चित करते समय मूल्य स्थिरता और सु-नियोजित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर पुनः जोर डालना।
  - वित्तीय समावेशन का अनुपालन करते समय विशेष रूप से रोजगार-संवेदी क्षेत्रों में ऋण गुणवत्ता के साथ-साथ ऋण वितरण पर जोर डालना।
  - यथोचित रूप से पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपाय दोनों के साथ तेजी से कार्रवाई करने के लिए मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली विकसित होती हुई उच्चतर वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू स्थिति की निगरानी करना।

समग्र मूल्यांकन

- अप्रैल-सितंबर 2006 की तुलना में वर्ष 2007-08 की प्रथम छमाही में कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों की वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि हुई और उसके बाद की गतिविधियाँ कृषि में सकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि करती हैं।
- यह मानते हुए कि वैश्विक या घरेलू स्तर पर कोई बाहरी आघात नहीं होगा, 2007-08 की शेष अवधि में इस समय औद्योगिक क्षेत्र के लिए संभावनाएं पर्याप्त रूप से सकारात्मक ही रहेंगी।
- जहाँ एक ओर इस समय सेवाओं के लिए संभावनाएं सकारात्मक नज़र आ रही हैं वहीं दूसरी ओर उभर रही वैश्विक गतिविधियों की अनिश्चितताएं इस परिदृश्य को प्रभावित भी कर सकती हैं।
- घरेलू क्रियाकलाप निवेशोन्मुख बने रहे और इन्हें बाह्य मांग का समर्थन भी मिला। नई और निवर्तमान दोनों ही आपूर्ति क्षमताओं का सुदृढ़ निर्माण चल रहा है और घरेलू तथा आयातित पूंजी माल की अनवरत मांग से यह प्रदर्शित भी होता है।
- पहले की तुलना में घरेलू मौद्रिक एवं चलनिधि परिस्थितियों में और विस्तार होगा और वैश्विक कारकों के चलते इसमें और विस्तार होने की संभावना है।
- 2007-08 की तीसरी तिमाही से चलनिधि की कुल अवरूद्धता में काफी इज़ाफा हुआ। यह रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियों की बृहद् अभिवृद्धि से उत्पन्न प्राथमिक चलनिधि के पर्याप्त विस्तार को दर्शाता है।
- विदेशी मुद्रा बाज़ार में, वृहद अंतर्वाह ने रुपए की विनिमय दर पर स्थाई उर्ध्वगामी दबाब बनाए हैं। अमरीकी फेडरल फंड लक्ष्य दर में की गई कटौती के परिप्रेक्ष्य में यह होना ही था।
- केंद्र सरकार के वित्त में कुछ सुधार हुआ है और सकल राजकोषीय घाटे में आई गिरावट से यह प्रदर्शित भी होता है। इससे पता चलता है कि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) के नियमों का पालन वर्तमान वित्त वर्ष में सही ढ़ंग से हो रहा है।
- सर्वसम्मत अनुमान यह संकेत देते हैं कि वर्ष 2007 एवं 2008 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी रहने के आसार हैं एवं अमरीकी सब-प्राइम संकट, खाद्य एवं कच्चे तेल की कीमतें सबसे अधिक जोखिम पैदा करेंगी। इस समय वैश्विक मंदी का खतरा सापेक्षतः कम हो गया है एवं सर्वसम्मत प्रत्याशाएं नरम उधारी को समर्थन देती प्रतीत होती हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति पर उर्ध्वगामी दबाव पहले की अपेक्षा अधिक सक्षम और वास्तविक बन गए हैं।
- अमेरिका, यूरो क्षेत्र, जापान और चीन में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ गई। समग्रतः 2008 की संभावनाओं हेतु मुद्रास्फीति दबाव अपने असर सहित सुदृढ़ रहेंगे।
- उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक वित्तीय बाज़ार की गतिविधियां कई मुद्दे प्रस्तुत करती हैं और इनके असर के संदर्भ में इनकी सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि चूंकि वित्तीय मध्यस्थता में लंबे समय तक चलने वाले व्यवधान की संभावना से उत्पन्न चिंताओं के कारण अक्तूबर के शुरूआत से ही कंपनी ऋण विस्तार एवं बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में प्रसार हुआ है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में वित्तीय बाज़ार में हुई उथल-पुथल का बैंकों पर काफी प्रभाव पड़ा है। उन बैंकों पर ये प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अटलांटिक के दोनों ओर सक्रिय हैं। तीसरी बात यह है कि हाल की घटनाओं के प्रति केंद्रीय बैंकों का प्रतिसाद यह दर्शाता है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों के अधीन अन्य अधिक सुस्पष्ट अनुसरित लक्ष्यों के प्रति यह अभिभावी महत्त्व ले लेता है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**